



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 07.08.2026

थाना मऊआइमा व एस0ओ0जी0/सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से आलाकत्ल 01 चाकू, घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक-01.08.2026 थाना मऊआइमा क्षेत्रान्तर्गत नऊबाग स्थित रेलवे ट्रैक के पास स्थित बाग में एक अज्ञात युवक का शव मिलने की सूचना पर पुलिस उपायुक्त गंगानगर, सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर, फील्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। शव की पहचान मृतक के पिता रामसजीवन द्वारा अपने पुत्र सौरभ, उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम कांदी थाना थरवाई कमिश्नरेट प्रयागराज निवासी के रूप में की गयी। मृतक के पिता रामसजीवन उपरोक्त द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना मऊआइमा पर मु0अ0सं0-254/2026 धारा-103(1) भा0न्या0सं0 बनाम के कन्हैया पुत्र दीपक पासी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

पुलिस की कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना मऊआइमा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-254/2026 धारा-103(1) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कन्हैया पासी पुत्र दीपक पासी निवासी ग्राम कलीपुर छाता थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना मऊआइमा व एस0ओ0जी/सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-07.08.2026 को थाना मऊआइमा क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक के आगे बगीचे के पास मन्दिर के पास से घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल व आलाकत्ल 01 चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त कन्हैया पासी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त कन्हैया की बुआ की बेटी गीता देवी पत्नी स्व0 मूलचन्द्र निवासिनी ग्राम कांदी थाना थरवई कमिश्नरेट प्रयागराज के पुत्र श्यामबाबू उम्र करीब 20 वर्ष की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी थी लेकिन गीता देवी उपरोक्त को संदेह था कि उसके बेटे की हत्या राम सजीवन व सौरभ भारतीया ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर करायी है। जिस कारण गीता देवी उपरोक्त ने अभियुक्त कन्हैया पासी उपरोक्त से राम सजीवन के लड़के सौरभ भारतीया की हत्या करने ले लिए कहा। जिसके बाद अभियुक्त कन्हैया पासी द्वारा आपने बाल अपचारी दोस्त के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई गई। दिनांक 31.07.2026 को अभियुक्त कन्हैया पासी ने सौरभ भारतीया उपरोक्त को फोन करके पड़िला महादेव मंदिर दर्शन के लिये बुलाया तथा बहला फुसला कर तिलक का पूरा स्थित बाग में शराब पीने के बहाने अपनी मोटर साइकिल से ले गया जहां उसका बाल अपचारी दोस्त पहले से ही मौजूद था। अभियुक्त कन्हैया पासी तथा सौरभ भारतीया उपरोक्त बाग में बैठकर शराब पी रहे थे वहीं बाल अपचारी भी आ गया। करीब शाम 07.00 बजे जब बाग में कोई आ जा नहीं रहा था तब अभियुक्त कन्हैया तथा उसके दोस्त ने मिलकर शराब की

बोतल तथा डण्डे से सौरभ के सिर पर कई वार किये, नशे में होने के कारण सौरभ वही गिर गया फिर अभियुक्त कन्हैया ने चाकू से सौरभ के गर्दन व सीने पर कई वार किये तथा सौरभ के लोवर से उसका आधार कार्ड पैन कार्ड व कुछ रुपये व मोबाइल फोन निकाल लिया था। सौरभ की पहचान न हो सके इसलिये अभियुक्त तथा बालअपचारी ने उसका लोवर निकाल लिया तथा दिखाने के लिये मौके पर 500-500 के 02 नोट को फेंक दिया था तथा सौरभ के लोवर को सामने के बाग में फेंक दिया। जिसके बाद अभियुक्त कन्हैया पासी तथा बालअपचारी मौक से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कन्हैया पासी पुत्र दीपक पासी निवासी ग्राम कलीपुर छाता थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 19 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-254/2026 धारा-103(1) भा0न्या0सं0 थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

- * घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 चाकू।
- * घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल वाहन सं0- UP70 HM 7536।
- * मृतक सौरभ उपरोक्त का 01 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 राममूर्ति यादव, थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 सुखचैन तिवारी, एस0ओ0जी0/सर्विलांस सेल प्रभारी गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 आलोक सिंह, थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. उ0नि0 रविप्रताप सिंह, थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. हे0का0 दुर्गा प्रसाद नायक, थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. हे0का0 देवेन्द्र प्रताप सिंह, एस0ओ0जी0 गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज।

7. हे0का0 रविंद्र यादव, एस0ओ0जी0 गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
8. हे0का0 राम एकबाल, एस0ओ0जी0 गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
9. हे0का0 अनुग्रह वर्मा, एस0ओ0जा0 गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
10. हे0का0 रबीश चंद्र, सर्विलांस सेल जोन गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
11. हे0का0 अंगद गिरि, सर्विलांस सेल जोन गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
12. हे0का0 प्रियंका पाल, सर्विलांस सेल जोन गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
13. का0 अमित कुमार मिश्रा, सर्विलांस सेल जोन गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
14. का0 प्रदीप कुमार यादव, सर्विलांस सेल जोन गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
15. का0 अनुराग यादव, सर्विलांस सेल जोन गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
16. का0 राहुल यादव, सर्विलांस सेल जोन गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
17. का0 विशाल कुवर, एस0ओ0जी0 गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
18. का0 समीर प्रताप सिंह, एस0ओ0जी0 गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
19. का0 पीयूष पंकज चौहान, एस0ओ0जी0 गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
20. का0 सौरभ यादव, एस0ओ0जी0 गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
21. का0 अमरेश कुमार सिंह, थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज ।
22. का0 रामसजीवन, थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज ।

आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अभियोग से सम्बंधित 01 वांछित अभियुक्त
थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना हण्डिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-291/2026 धारा-108

भा0न्या0सं0 से सम्बंधित वांछित अभियुक्त संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय सरजू निवासी ग्राम वीर नई थाना गोपीगंज जनपद भदोही को थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-07.08.2026 को थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत जंघई रोड स्थित तालाब के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।

उल्लेखनीय है कि थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बनपुरवा सरायपीथा निवासी संतोष कुमार पुत्र स्व0 इन्द्रजीत द्वारा दिनांक-11.06.2026 को पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने पर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हण्डिया पर मु0अ0सं0-291/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित 02 अभियुक्त तथा 01 अभियुक्ता को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय सरजू निवासी ग्राम वीर नई थाना गोपीगंज जनपद भदोही, उम्र करीब 34 वर्ष ।

सम्बंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-291/2026 धारा 108 भा0न्या0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 अनूप सरोज, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ0नि0 रामआशीष, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. का0 इन्द्रजीत यादव, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।

थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना हण्डिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-144/2026 धारा-319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) भा0न्या0सं0 से सम्बंधित वांछित अभियुक्त सन्दीप तिवारी पुत्र दिनेश प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम यशवंत सिंह का पुरा थाना पडरी जनपद मीरजापुर को थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-07.08.2026 को थाना हण्डिया से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सन्दीप तिवारी उपरोक्त द्वारा आरोहन फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड कम्पनी में काम करते हुए छल करके कूट रचित प्रपत्र तैयार कराकर 21 ग्राहक व सह ग्राहको के मृत्यु प्रमाण पत्रों में जाल साजी करके बीमा दावो से कुल 7,57,500/- रुपये का गबन किये जाने के सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हण्डिया पर मु0अ0सं0-144/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सन्दीप तिवारी पुत्र दिनेश प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम यशवंत सिंह का पुरा थाना पडरी जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 26 वर्ष।

सम्बंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-144/26 धारा-319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) भा0न्या0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

अभियुक्त सन्दीप तिवारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०-144/26 धारा-319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) भा०न्या०सं० थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. मु०अ०सं०-94/2026 धारा-319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) भा०न्या०सं० थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० अनूप सरोज, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ०नि० राममिलन यादव, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. का० महेश पाल, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज ।